

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ. 951(19)परावि/लेखा/जिला परिषदनि.आ./सुविधा/मानदेय बढ़ाने/—08713 जयपुर, दिनांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

विषय:— ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।
संदर्भ:—आपका राजाकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रशासकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस सम्बन्ध में लेख है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(कृष्ण कन्हैया मीणा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:—एफ. 951(19)परावि/लेखा/जिला परिषदनि.आ./सुविधा/मानदेय बढ़ाने/—08713 जयपुर, दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार

**RajKaj Ref No.:
18198199**

eSign DSC

Document certified by Krishan Kanhiya
Meena <kk_meena75@rediffmail.com>.

Digitally Signed by KRISHAN
KANHAIYA MEENA
Designation: Financial Advisor
Date :08-10-2025 12:03:59